



कार्यालय प्रधान आयुक्त (अंकेक्षण), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर
 OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER (AUDIT) CENTRAL GOODS & SERVICE TAX,
 G-105, New Industrial Area, Opp. Diesel Shed, Basni, Jodhpur (Raj.)
 E-mail: tech-auditjdr@gov.in, tech-auditjdr@gov.in

सेवा में,

Shri Anil Mishra
 3515 E Sudama Nagar,
 Indore, Pin:452009
 E-mail: macwellmishra@gmail.com
 Contact: 9826045283

विषय : RTI application Registration No. GSTJP/R/T/26/00055/1 dated 27.03.2026 under the RTI Act, 2005- reg.

महोदय,

कृपया आपके RTI आवेदन पंजीकरण संख्या GSTJP/R/T/26/00055/1 dated 27.03.2026 का संदर्भ लें, जिसे मुख्य आयुक्त कार्यालय, CGST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय को स्थानांतरित किया गया है।

2. उपरोक्त RTI आवेदन के संदर्भ में बिंदुवार उत्तर नीचे दिया गया है
 Point No. 1 to 5 "उक्त बिन्दुओं के अंतर्गत मांगी गई जानकारी तैयार रूप में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऐसी विशिष्ट जानकारी को अलग-अलग फाइलों से एकत्र और संकलित (compile) करना होगा। यह संग्रह और संकलन नई जानकारी के सृजन (creation) के बराबर होगा, इसलिए, यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(f) के प्रावधानों के अंतर्गत जानकारी की श्रेणी में नहीं आता है। अतः चाही गयी जानकारी प्रदान करना संभव नहीं है।"

3. इस प्रकार उपर्युक्त उक्त आर टी आई आवेदन का निस्तारण किया जाता है। आवेदक इस आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त और प्रथम अपीलीय अधिकारी (आरटीआई), सी. जी. एस. टी. (अंकेक्षण) आयुक्तालय, जी-105, गली न. 5, नव जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर को आदेश प्राप्ति के 30 दिन में अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(कृष्ण कान्त गुप्ता)
 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी